

# न्यायपीठ-बाल कल्याण समिति, लखीमपुर-खीरी

प्रेषक,

अध्यक्ष / सदस्य  
न्यायपीठ-बाल कल्याण समिति,  
लखीमपुर-खीरी।

सेवा में,

बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
लखीमपुर-खीरी

पत्रांक-320-23/बा0क0स0/2023-24 दिनांक 10.07.2023

विषय : जनपद लखीमपुर-खीरी के सभी सरकारी व स्वपित्त पोषित स्कूलों में "बाल शिकायत/सुझाव पेटिका" लगवाने हेतु।

महोदय,

कृपया एतद् साथ संलग्न एम ट्रस्ट, ग्रा0 रतहरा, पो0 कस्ता, लखीमपुर-खीरी दिनांक 10.07.2023 के पत्र की छायाप्रति का अवलोकन करने का कष्ट करे। जिसकी विषय वस्तु से सारी स्थिति स्वतः ही स्पष्ट है।

अपेक्षा के अनुरूप यथोचित्त कार्यवाही कर यथासमय न्यायपीठ-बाल कल्याण समिति, लखीमपुर-खीरी को कृत्य कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करे, जिससे बालकों का हित सुरक्षित किया जा सके।



अध्यक्ष / सदस्य  
न्यायपीठ-बाल कल्याण समिति  
लखीमपुर खीरी

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिला प्रोबेशन अधिकारी, लखीमपुर-खीरी।
2. कार्यक्रम प्रबन्धक, एम ट्रस्ट, लखीमपुर-खीरी।

Rachma  
10/07/2023

सदस्य  
न्यायपीठ-बाल कल्याण समिति,  
पशम श्रेणी प्राथमिक शिक्षा मण्डल,  
लखीमपुर-खीरी

सदस्य 10/07/2023  
न्यायपीठ-बाल कल्याण समिति,  
पशम श्रेणी प्राथमिक शिक्षा मण्डल,  
लखीमपुर-खीरी

अध्यक्ष / सदस्य  
न्यायपीठ-बाल कल्याण समिति  
लखीमपुर खीरी  
पशम श्रेणी प्राथमिक शिक्षा मण्डल,  
लखीमपुर-खीरी 10/07/2023

सेवा में,  
अध्यक्ष/सदस्य  
बाल कल्याण समिति  
जनपद लखीमपुर खीरी।

दिनांक: 10.07.2023

विषय— जनपद लखीमपुर खीरी के सभी सरकारी व स्ववित्त पोषित स्कूलों में "बाल शिकायत/सुझाव पेटिका" लगवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


सादर अवगत कराना है कि एम ट्रस्ट एक स्वयं सेवी संस्था है, जो क्राई नई दिल्ली (Child Right & You) के सहयोग से लखीमपुर खीरी के बेहजम ब्लाक में 22 ग्राम पंचायतों के 30 गांवों और मितौली ब्लाक में 13 ग्राम पंचायतों के 17 गांवों में बच्चों की बाल केन्द्रित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व बाल सुरक्षा के मुद्दे पर कार्य कर रहा है।

संस्था द्वारा कार्यक्षेत्र के गांवों में बच्चों की सुरक्षा व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को जारी रखने के लिए लर्निंग कार्नर, बाल गतिविधि केन्द्र व बाल एवं किशोर-किशारी संसाधन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। जिसके अर्न्तगत बच्चों को शिक्षा देने के साथ ही साथ जीवन कौशल प्रशिक्षण व आत्मरक्षा प्रशिक्षण, लैंगिक समानता, किशोरियों को माहवारी स्वच्छता प्रबन्धन के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है। जिससे उनका मानसिक बौद्धिक, शारीरिक, रचनात्मक एवं सामाजिक भावनात्मक विकास हो सकें।

कार्यक्षेत्र में परियोजना क्रियान्वयन के दौरान यह पाया गया है, कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में कोई भी सुझाव/शिकायत पेटिका नहीं है। जिससे कोई भी बच्चा (बालक-बालिका) या अभिभावक अपनी शिकायत या बच्चों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत या सुझाव दे सकें और स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान किया जा सकें।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में बाल शिकायत/सुझाव पेटिका लगवाने की कृपा करें। जिससे बच्चों अपनी समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर प्राप्त कर सकें।

भवदीय

  
हरीश कुमार  
कार्यक्रम प्रबन्धक  
मो0 9984485080

  
सुशीला देवी  
समन्वयक  
मो0 7705057775